

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण Gcms No 2022/49

दायरा तिथि : 09.02.2022

आदेश तिथि: 08-08-25

प्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)

तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. देवाराम पुत्र नारायणलाल जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सेसली
2. पुखराज पुत्र गुलाबराम जाति चौधरी निवासी सेवाडी
3. भूपेन्द्रसिंह जोधा पुत्र जयपालसिंह जाति राजपूत निवासी बाली

--: आदेश :-

दिनांक : 08-08-25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा नंबर 854 रकबा 1.97 हैक्टर किस्म बारानी दायम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मकान बनाकर एवं प्लॉटिंग कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील होने के बाद अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त समय अवसर देने के बावजूद अप्रार्थीगण अधिवक्ता जवाब पेश करने में विफल रहने पर इनके जवाब अवसर को बंद किया गया। अप्रार्थीगण को भूमि संपरिवर्तन के संबंध में कमी पूर्ति करने हेतु नगरपालिका बाली द्वारा सूचित किये जाने पर भी अप्रार्थीगण द्वारा नगरपालिका बाली में संपरिवर्तन से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं करने तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा नंबर 854 रकबा 1.97 हैक्टर किस्म बारानी दायम की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर खातेदार द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मकान बनाकर एवं प्लॉटिंग कर अकृषि प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है, अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली-(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा-

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो,

(ख) इस आधार कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तों का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं:

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा नंबर 854 रकबा 1.97 हैक्टर किस्म बारानी दायम की भूमि कृषि भूमि है। परन्तु पटवारी हल्का सेसली की मौका फर्द दिनांक 21.01.2022 के अनुसार वर्णित भूमि में मौके पर 25×50 वर्गफीट के दो मकान निर्माणाधीन है तथा शेष रकबे में प्लॉटिंग की हुई है। भूमि का मौके पर कृषि उपयोग न होकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के संबंध में खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का प्रावधान बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है। पेज लगातार.....02



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022 / 49
अनवान तहसीलदार बाली बनाम देवाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम सोसली स्थित भूमि खसरा नंबर 854 रकबा 1.97 हेक्टर किरम बारानी दोगम में पटवारी हल्का, सोसली की मौका फर्द दिनांक 21.01.2022 के अनुसार 25×50 वर्गफीट के दो निर्माणाधीन मकान को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। एवं शेष रकबे का पुनः मौका सर्वे करवाये। यदि शेष रकबे पर भी अकृषि गतिविधियां पाई जाती हैं तो पुनः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही न्यायालय में प्रस्तावित करने के निर्देश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सोसली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 08-08-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली